**उत्तर प्रदेश शासन,**

**व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग,**

**संख्या-223/2016/2369/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-65(एम)/2013टीसी-1**

**लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2016**

**कार्यालय-ज्ञाप**

श्री सै0 अली हुजूर, तत्कालीन संयुक्त निदेशक(प्रशि0/ शिशिक्षु), मेरठ मण्डल मेरठ सम्प्रति प्रधानाचार्य श्रेणी-1 के विरूद्व संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शि0) मेरठ मण्डल, मेरठ की तैनाती अवधि में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, जुलाई, 2013 में अपचारी अधिकारी द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रो के ऐसे प्रशिक्षार्थियों, जिनका वेब पोर्टल पर नामांकन प्रवेश सत्र, 2012-14 हेतु था तथा उन्हें अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, 2014 में सम्मिलित होना था, को 02 वर्ष की न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि पूर्ण किये बिना ही अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, 2013 में सम्मिलित कराने हेतु संस्तुत करने तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से बिना शपथ पत्र प्राप्त किये प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु संस्तुत करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2387/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2014-65(एम)/2013, दिनांक 03.07.2014 द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी।

2- जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच-आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त कार्यालय आदेश सं0-21/2016/426/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016-65(एम)/2016टीसी-I, दिनांक 05-02-2016 द्वारा निम्नवत् परिनिन्दित करते हुए उनके विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी:-

**" अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, जुलाई, 2013 में ऐसे प्रशिक्षार्थी जिनका नामांकन वेब पोर्टल, 2012-14 के लिए था, को संस्तुत करने से पूर्व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र एवं अन्य संगत अभिलेखों आदि का भली भॉति परीक्षण न कर अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा, 2013 में सम्मिलित किये जाने हेतु संस्तुत करने के लिए श्री सै0अली हुजूर , तत्कालीन संयुक्त निदेशक(प्रशि0/ शिशिक्षु), मेरठ मण्डल मेरठ सम्प्रति प्रधानाचार्य श्रेणी-1 को वर्ष 2013-14 के लिए एतदद्वारा परिनिन्दित किया जाता है।"**

**3-** उक्त परिनिन्दा प्रविष्टि के विरूद्ध श्री हुजूर द्वारा शासन मे प्रत्यावेदन दिनांक 08-06-2016 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि उसी प्रकार के प्रकरण में अन्य अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही में उनसे भिन्न निर्णय लेते हुए उन्हें सचेत कर दिया गया जबकि उन्हें परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी। इस संबंध में उनके प्रत्यावेदन का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि श्री हुजूर का कृत्य अपेक्षाकृत गम्भीर होने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें उपरोक्तानुसार परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी। अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री हुजूर का प्रत्यावेदन दिनांक 08-06-2016 बलहीन होने के कारण एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

भुवनेश कुमार

सचिव।

**संख्या-2369(1)/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2016 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त पत्र की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधिकारी को अतिरिक्त प्रति पर प्राप्त कराकर तामीली रसीद शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- श्री सै0 अली हुजूर, तत्कालीन संयुक्त निदेशक(प्रशि0/ शिशिक्षु), मेरठ मण्डल मेरठ सम्प्रति प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरेली ।

3- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को श्री सै0 अली हुजूर की चरित्र पंजिका में चस्पा किये जाने हेतु एक अतिरिक्त प्रति।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अजीत प्रकाश)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in